भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1316

30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि पर जल-संसाधनों में ह्रास का प्रभाव

1316. श्री ई.टी.मोहम्मद बशीर

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह एहसास है कि जल संसाधनों का ह्रास और विविधता की हानि देश में कृषि क्षेत्र को प्रभावित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): यह सच है कि जैव विविधता की हानि और जल संसाधनों के ह्रास से कृषि क्षेत्र प्रभावित होगा। तथापि, भारत सरकार देश में सतत कृषि सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहल कर रही है। पर्यावरण की चिंता के साथ सतत कृषि और अच्छी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) क्रियान्वित कर रही है, जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। एनएमएसए का उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए कार्यनीतियों को विकसित और क्रियान्वित करना है। एनएमएसए को तीन प्रमुख घटकों अर्थात वर्षा-सिंचित क्षेत्र विकास, खेत स्तर पर जल प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए अनुमोदित किया गया था। इसके बाद, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, परंपरागत कृषि विकास योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन और कृषि-वानिकी, राष्ट्रीय बांस

मिशन, प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) आदि जैसे नए कार्यक्रम भी एनएमएसए के तहत शामिल किए गए।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मूल हरित क्रांति राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) को क्रियान्वित कर रहा है, ताकि पानी की अधिक खपत वाले धान की फसल के क्षेत्र को तिलहन, दलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास आदि जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर मोड़ा जा सके। पीडीएमसी योजना सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों, अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। कृषि उद्देश्यों के लिए जल संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) सूक्ष्म सिंचाई और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों के उपयोग के अलावा वर्षा जल संचयन उपायों, भूजल पुनर्भरण और सतही और भूजल संसाधनों के संयुक्त उपयोग का सुझाव देता है। आईसीएआर ने जल के विवेकपूर्ण उपयोग की दृष्टि से जल गहन फसलों के बदले दलहन, तिलहन, मक्का और कृषि वानिकी अपनाने और साथ ही अन्य कृषि पद्धतियों जैसे रेज्ड बैड सोविंग, एकान्तर फरो सिंचाई, मल्चिंग, सीड ड्रिल और ड्रम सीडर के माध्यम से सीधे बोई गई धान (डीएसआर), चावल गहनता प्रणाली (एसआरआई), वैकल्पिक नमीकरण और सुखाने की विधि, लेजर भूमि समतलीकरण, विभिन्न किस्मों को अपनाने का भी सुझाव दिया है। परिषद किसानों को शिक्षित करने के लिए इन पहलुओं पर प्रशिक्षण भी देती है।

भारत सरकार जल संरक्षण और उसके प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) क्रियान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य खेतों तक पानी की वास्तविक पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, सतत जल संरक्षण पद्धतियों को शुरू करना आदि है। पीएमकेएसवाई का

क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय और भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। जल शक्ति अभियान हर वर्ष आयोजित किया जा रहा है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं, वाटरशेड प्रबंधन, पुनर्भरण और पुन: उपयोग संरचनाओं के निर्माण, सघन वनरोपण और जागरूकता सृजन आदि के माध्यम से मानसून की बारिश का प्रभावी ढंग से संचयन करना है। भारत सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से जल संचयन और संरक्षण कार्यों जैसे फार्म पॉण्ड, डग वैल्स, चेक डैम और सामुदायिक तालाब आदि के निर्माण में भी सहायता करती है।

*****